न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रणछोड़ दास सोनी

राजस्व आवेदन सं. 01/2024

प्रार्थी–	बनाम	विप्रार्थी–
राज्य सरकार जरिये पटवारी सरली		श्री चैनाराम पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी लुखों का तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.06.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.05.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम लुखों का तला के खसरा नम्बर 1108/980 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म बा. दो. की संपूर्ण भूमि पर तारबंदी मय अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने तारबंदी मय कब्जा करके अतिक्रमण किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.07 का 50 गुना रूपये 4/– (अक्षरे एक रूपया) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक सरली एवं पटवारी सरली** को निर्देशित किया जाता हैं कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणछोड़ दास सोनी)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण